न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष स0–1, मुरादाबाद

सरकार बनाम इसरार आदि

जमानत आदेश

04–09–2019

मु0अ0स0–445/2018 धारा 498ए,323,506,504 भा0द0स0 थाना विलारी जिला मुरादाबाद मे प्रार्थी युसूफ पुत्र मौ0 आरिफ की ओर से जमानत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को झूठा फसाया गया है, कोई ऐसा अपराध नही किया है, वह निर्दोष है, प्रार्थी वादिनी मुकदमा का देवर है। प्रार्थी ने वादनी को दहेज के लिये मारपीट कर कोई मानसिक व शारीरिक उत्पीढ़न नहीं किया गया और न ही जान से मारने की धमकी दी है। कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन स्पष्ट है कि अभियुक्त वादिनी मुकदमा शौकीन जहॉ के देवर हैं तथा मुख्य अभियुक्त वादिनी के पति को अन्तरिम जमानत प्रदान की जा चुकी है, तथा सह अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। मामला वैवाहिक संबंधो पर आधारित है। मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा मुव0 30000/–रू0 का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष स0–1, मुरादाबाद